आवास+ 2024 सर्वेक्षण मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

विषयसूची

विषय वस्तु

1. प्रस्तावना

2. आवास+ 2024 एप्लीकेशन का उपयोग करके स्व-सर्वेक्षण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)

2.1 आवासप्लस ऐप डाउनलोड करना

2.2 प्रमाणीकरण और एप्लीकेशन उपयोग

2.3 सर्वेक्षण प्रक्रिया

2.4 सर्वेक्षण ब्यौरा

2.5 लाभार्थी ई-केवाईसी

2.6 बैंक के खाते का ब्यौरा

2.7 आवास के प्रकार प्रश्नावली और फोटोग्राफ

2.8 आवास डिजाइन प्राथमिकताएं

2.9 सर्वेक्षण की पुष्टि

2.10 अधूरा सर्वेक्षण

2.11 सर्वेक्षण रिपोर्ट

2.12 सर्वेक्षण पुष्टि

2.13 सत्यापन

2.14 जॉब कार्ड सत्यापन

2.15 अनुमोदन

3. आवास+ 2024 एप्लीकेशन का उपयोग करके सहायता प्राप्त सर्वेक्षण के लिए एसओपी

3.1 आवास+ 2024 में सहायता प्राप्त सर्वेक्षण मॉड्यूल तक पहुँचने के लिए पूर्वापेक्षाएं:

3.2 आवास+ 2024 ऐप डाउनलोड करना

3.3 सर्वेक्षक प्रमाणीकरण

3.4 सर्वेक्षण प्रक्रिया

3.5 चेहरा प्रमाणीकरण

3.6 सर्वेक्षण विवरण

3.7 लाभार्थी ई-केवाईसी

3.8 बैंक विवरण

3.9 आवास विवरण और प्रकार

3.10 आवास डिजाइन प्राथमिकताएं

3.11 सर्वेक्षण पुष्टि

3.12 अपूर्ण सर्वेक्षण

3.13 सत्यापन और पुष्टि

3.14 जॉब कार्ड सत्यापन और अनुमोदन

4. सर्वेक्षण प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की जवाबदेही.....

1. परिचय

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत विकसित आवास+ मोबाइल ऐप का माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर में शुभारंभ किया था।

इस एप्लिकेशन का उद्देश्य आवास सहायता के लिए अतिरिक्त वंचित परिवारों की पहचान और समावेशन को सरल बनाना है। यह एक अत्याधुनिक पहल है जिसका उद्देश्य परिवार सर्वेक्षण के लिए एक व्यापक एआई-सक्षम चेहरा प्रमाणीकरण तकनीकी-आधारित ऐप के माध्यम से पात्र लाभार्थियों की पहचान करना है।

यह ऐप संभावित पात्र परिवारों का विवरण एकत्रित करता है, जिसमें वर्तमान आवास की जियो-टैग्ड तस्वीर और पीएमएवाई-जी आवास के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थान शामिल है। यह ऐप निम्नलिखित सुनिश्चित करता है:

- सटीक डेटा संग्रह,
- पारदर्शिता पर बल देना और
- नागरिकों और अधिकारियों दोनों के लिए उपयोग में आसानी

आवास+ सर्वेक्षण एप्लिकेशन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. स्व-सर्वेक्षण
2. सहायता प्राप्त सर्वेक्षण
3. आवास टाइपोलॉजी चयन में सहायता
4. चेहरा प्रमाणीकरण
5. ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड

6. परिवारों का डेटा कैप्चर करना

7. समय-मुद्रित एवं जियो-टैग फोटोग्राफ।

2. आवास+ 2024 एप्लीकेशन का उपयोग करके स्व-सर्वेक्षण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)

2.1 आवासप्लस ऐप डाउनलोड करना

2.1.1 https://pmayg.nic.in के माध्यम से आवासप्लस ऐप डाउनलोड करें।

2.1.2 यह एप्लीकेशन केवल एंड्रॉयड फोन में ही चलती है।

2.1.3 कोई भी नागरिक जिसके पास वैध आधार संख्या है स्व-सर्वेक्षण सुविधा का उपयोग करके आवासप्लस में लॉगिन कर सकता है। एक डिवाइस से केवल एक ही स्व-सर्वेक्षण किया जा सकता है।

2.2 प्रमाणीकरण और एप्लिकेशन उपयोग

2.2.1 स्व-सर्वेक्षण लाभार्थी परिवार के किसी सदस्य या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है। एप्लिकेशन उपयोग के लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी सत्यापन की आवश्यकता होगी।

2.2.2 आधार का उपयोग करते हुए चेहरा प्रमाणीकरण-आधारित ई-केवाईसी, एप्लीकेशन उपयोग के लिए प्रमाणीकरण का एकमात्र तरीका है।

2.3 सर्वेक्षण प्रक्रिया

2.3.1 एप्लिकेशन में लॉग इन करने के बाद, नया सर्वेक्षण जोड़ने, मौजूदा सर्वेक्षण को संपादित करने या पूर्ण सर्वेक्षण अपलोड करने के विकल्प प्रदर्शित किए जाएंगे।

2.3.2 सर्वेक्षण करते समय गांव स्तर तक परिवार की मौका स्थिति जानना आवश्यक है। केवल एलजीडी अनुरूप जिले, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव ही चयन के लिए उपलब्ध हैं।

2.3.3 आधार से प्राप्त पते के आधार पर राज्य का नाम स्वतः ही तय हो जाएगा। जिस गांव में लाभार्थी निवास करता है, वहां स्वयं सर्वेक्षण किया जाएगा।

2.4 सर्वेक्षण ब्यौरा

1.4.1 सर्वेक्षण के पहले भाग में सभी परिवार के सदस्यों की आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना शामिल है, जिसमें उनके आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य सामाजिक-आर्थिक ब्यौरे शामिल हैं।

1.4.2 आवश्यक जानकारी प्रदान करने के बाद, निम्नलिखित बातों के आधार पर परिवार के एक सदस्य को संभावित लाभार्थी के रूप में चुना जाना चाहिए:

- यदि परिवार में महिला सदस्य शामिल हैं, तो लाभार्थी के रूप में परिवार की महिला सदस्य का ही चयन किया जाए।
- यदि परिवार में कोई महिला सदस्य नहीं है तो परिवार के किसी भी सदस्य को लाभार्थी के रूप में चुना जा सकता है।

2.5 लाभार्थी ई-केवाईसी

चयनित संभावित लाभार्थी का चेहरा प्रमाणीकरण-आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य है, हालांकि:

2.5.1 यदि इंटरनेट संपर्क न होने, आधार की अनुपलब्धता, आधार में बायोमेट्रिक डेटा का अद्यतन न होना आदि जैसी समस्याओं के कारण लाभार्थी का ई-केवाईसी नहीं किया जा सकता है, तो इस ऐप से लाभार्थी के चेहरे को कैप्चर करने और संग्रहीत किया जा सकेगा, ताकि बाद में ई-केवाईसी किया जा सके।

2.5.2 ई-केवाईसी की विफलता का कारण भी स्वचालित रूप से दर्ज हो जाता है।

2.6 बैंक के खाते का ब्यौरा

2.6.1 संभावित लाभार्थी के बैंक खाते का ब्यौरा दर्ज करने का विकल्प अगले चरण में उपलब्ध होगा। हालाँकि, यह अनिवार्य नहीं है क्योंकि कोई भी लाभ बाद में आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) के माध्यम से संवितरित किया जाएगा।

2.7 **आवास** के प्रकार प्रश्नावली और फोटोग्राफ

2.7.1 सर्वेक्षण के अगले भाग में, आवास के प्रकार के बारे में प्रश्नावली के उत्तर दर्ज किए जाएंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के हैं, और सर्वेक्षण का यह भाग पूरी तत्परता के साथ किया जाना चाहिए।

2.7.2 अगले चरण में परिवार के मौजूदा आवास और प्रस्तावित स्थल (यदि वे पात्र पाए जाते हैं और पीएमएवाई-जी के तहत लाभ प्राप्त करते हैं) की फोटोग्राफ ली जानी चाहिए।

2.7.3 इन तस्वीरों को जियो-टैग किया जाता है और टाइमस्टैम्प किया जाता है ताकि उनका सटीक स्थान और समय दर्ज किया जा सके। फिर पात्रता का आकलन करने के लिए इन तस्वीरों का एआई मॉडल का उपयोग करके विश्लेषण किया जाएगा।

2.7.4 यदि परिवार पात्र पाया जाता है और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करता है, तो प्रस्तावित स्थल जियो-फेंस स्थापित करने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में काम करेगा।

2.8 आवास डिजाइन प्राथमिकताएं

2.8.1 सर्वेक्षण आवेदन के अंतिम चरण में, उपयोगकर्ताओं को आवास डिजाइन और राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकल्प दिए जाएंगे। यद्यपि उपयोगकर्ता किसी भी आवास डिजाइन का चयन कर सकते हैं, लेकिन चुने गए डिजाइन को केवल वरीयता के रूप में माना जाएगा।

2.9 **सर्वेक्षण की पुष्टि**

2.9.1 सर्वेक्षण आवेदन पूरा करने के बाद, प्रस्तुत की गई जानकारी का पूर्वावलोकन प्रदर्शित किया जाएगा। फिर उपयोगकर्ता को प्रदान की गई जानकारी की सटीकता और सत्यता की पुष्टि करने वाला एक घोषणापत्र प्रदान करना होगा ।

2.9.2 **यदि बाद में जांच के समय कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो परिवार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।**

2.9.3 सर्वेक्षण प्रत्येक स्क्रीन के बाद स्वचालित रूप से संपादित किया जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता इसे प्रस्तुत करने से पहले किसी भी समय एक्सेस या संपादित कर सकेंगे। एक बार सर्वेक्षण को अंतिम रूप दे दिया जाए और सर्वर पर अपलोड कर दिया जाए, तो इसमें कोई और संशोधन नहीं किया जा सकता है।

2.10 अधूरा सर्वेक्षण

2.10.1 लाभार्थी का ई-केवाईसी पूरा किए बिना किया गया कोई भी सर्वेक्षण अधूरा माना जाएगा।

2.10.2 पिछले चरण में पहचाने गए अधूरे सर्वेक्षण तक स्व-सर्वेक्षणकर्ता पहुच सकेंगे, जिसके पास बाद में ई-केवाईसी प्रक्रिया को फिर से खोलने और पूरा करने का विकल्प होगा। स्व-सर्वेक्षण को अंतिम रूप देने के लिए ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है। स्व-सर्वेक्षण के लिए, लाभार्थी आधार विवरण को अपडेट करने और ऐप पर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है।

2.11 सर्वेक्षण रिपोर्ट

2.11.1 सभी स्व-सर्वेक्षण मामलों को अलग से संग्रहीत किया जाएगा, और पोर्टल पर उनकी रिपोर्ट सहायता प्राप्त सर्वेक्षण मामलों से अलग रखी जाएगी।

2.12 सर्वेक्षण पुष्टि

2.12.1 सभी स्व-सर्वेक्षण मामलों की पुष्टि ग्राम पंचायत के नामित सर्वेक्षक द्वारा की जानी चाहिए। अपलोड होने के बाद, स्व-सर्वेक्षण मामले सर्वेक्षक द्वारा पुष्टि के लिए सहायक सर्वेक्षण लॉगिन में उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

2.12.2 ऐसे सभी पुष्टिकरणों के लिए सर्वेक्षणकर्ताओं के चेहरे का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा

2.12.3 किसी भी स्व-सर्वेक्षण मामले की पुष्टि करते समय, सर्वेक्षक को डिजिटल साक्ष्य और एक घोषणापत्र प्रस्तुत करनी होगी ।

2.12.4 इस पुष्टिकरण प्रक्रिया का परिणाम स्व-सर्वेक्षण आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा, और यह ऐप पर उनके स्व-सर्वेक्षण लॉगिन में भी दिखाई देगा।

2.12.5 सर्वेक्षक द्वारा पुष्टिकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद, उच्च अधिकारी प्रदान की गई सिफारिशों के आधार पर मामलों का सत्यापन करेंगे। **सर्वेक्षकों के पास किसी भी स्व-सर्वेक्षण मामले को हटाने/अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है।**

2.13 सत्यापन

2.13.1 स्व-सर्वेक्षण के मामलों में जहां पुष्टिकरण साक्ष्य कैप्चर किए गए सर्वेक्षण विवरण के साथ मेल खाते हैं, एक नामित जांचकर्ता, जो किसी भी संबंधित विभाग का सरकारी कर्मचारी हो, को यादृच्छिक रूप से 10% मामलों का सत्यापन करना चाहिए। इसके अलावा, ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) या समकक्ष अधिकारी को ऐसे 5% मामलों का सत्यापन करना चाहिए, और जिला-स्तरीय अधिकारी को ऐसे 2% मामलों का सत्यापन करना चाहिए।

2.13.2 स्व-सर्वेक्षण मामलों के लिए जहां पुष्टिकरण साक्ष्य प्राप्त सर्वेक्षण जानकारी से अलग हो, उस ग्राम पंचायत के एक नामित जांचकर्ता को 100% मामलों का सत्यापन करना होगा, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) या समकक्ष को कम से कम 10% मामलों का सत्यापन करना होगा, और जिला स्तर के प्राधिकारी को ऐसे 2% मामलों का सत्यापन करना होगा।

2.13.3 इसी प्रकार, यदि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान जांचकर्ता द्वारा कोई विचलन पाया जाता है, तो ऐसे सभी मामलों को पैरा 2.13.2 के अनुसार सत्यापित किया जाना चाहिए। **परीक्षक के पास किसी भी स्व-सर्वेक्षण मामले को हटाने/अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है।**

2.13.4 इस सत्यापन को करने के लिए कई ब्लॉक या जिला स्तर के अधिकारियों को अधिकृत किया जा सकता है।

2.13.5 उपरोक्त सर्वेक्षण सत्यापन केवल आवासप्लस 2024 ऐप का उपयोग करके किया जाना है। तदनुसार, ऐप में सर्वेक्षण मामलों को सत्यापित करने के लिए एक अलग मॉड्यूल होगा।

2.14 जॉब कार्ड सत्यापन

2.14.1 सत्यापन के लिए ग्राम सभा को सूची भेजने से पहले, यह सत्यापित करना आवश्यक है कि सर्वेक्षण किए गए परिवार के जॉब कार्ड का विवरण सही है। मनरेगा जॉब कार्ड का सत्यापन और डुप्लीकेशन नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से किया जाएगा, और इस अभ्यास का परिणाम ऐप पर उपलब्ध होगा।

2.15 **अनुमोदन**

2.15.1 ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के बाद, सूची की समीक्षा अपीलीय समिति द्वारा की जाएगी। सूची को अंतिम मंजूरी केवल अपीलीय समिति द्वारा जांच की जाने के बाद ही दी जाएगी।

3. आवास+ 2024 एप्लीकेशन का उपयोग करके सहायता प्राप्त सर्वेक्षण के लिए एसओपी

3.1 आवास+ 2024 में सहायता प्राप्त सर्वेक्षण मॉड्यूल तक पहुंचने के लिए पूर्वापेक्षाएं:

3.1.1 मानचित्रित ग्राम पंचायत के सर्वेक्षक।

3.1.2 सभी सर्वेक्षणकर्ताओं का आधार आधारित जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण और जिलों द्वारा अनुमोदन।

3.1.3 मानचित्रण कार्य पूरा करने पर जिलों/ राज्यों की सहमति।

3.1.4 ब्लॉक/ जिलों के अनुसार ग्राम पंचायतों की संख्या और गांवों से ग्राम पंचायतों की मैपिंग का सत्यापन।

3.2 आवास+ 2024 ऐप डाउनलोड करना।

3.2.1 https://pmayg.nic.in के माध्यम से आवासप्लस ऐप डाउनलोड करें।

3.2.2 यह एप्लीकेशन केवल एंड्रॉयड फोन में चलता है।

3.2.3 केवल पंजीकृत और अनुमोदित सर्वेक्षक ही सहायता प्राप्त सर्वेक्षण सुविधा का उपयोग करके आवासप्लस में लॉगिन कर सकते हैं।

3.3 सर्वेक्षक प्रमाणीकरण

3.3.1 ऐसे मामलों के लिए जहां सर्वेक्षक का प्रारंभिक ई-केवाईसी इस डिवाइस पर पूरा नहीं हुआ है

3.3.2 फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित ई-केवाईसी अवश्य किया जाना चाहिए। इस चरण के लिए सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है।

3.3.3 ई-केवाईसी के सफल समापन पर, डिवाइस-विशिष्ट पिन बनाया जाना चाहिए।

3.3.4 आधार का उपयोग करते हुए चेहरा प्रमाणीकरण-आधारित ई-केवाईसी, एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए प्रमाणीकरण का एकमात्र तरीका है।

3.3.5 यदि सर्वेक्षक ने इस डिवाइस पर प्रारंभिक ई-केवाईसी पहले ही पूरी कर ली है, तो उपरोक्त चरण में बताए गए अनुसार डिवाइस-विशिष्ट पिन का उपयोग करके ऐप तक पहुँचा जा सकता है।

3.4 सर्वेक्षण प्रक्रिया

3.4.1 एप्लिकेशन में लॉग इन करने के बाद, नया सर्वेक्षण जोड़ने, मौजूदा सर्वेक्षण को संपादित करने या पूरा किया गया सर्वेक्षण अपलोड करने के विकल्प प्रदर्शित किए जाएंगे।

3.4.2 नया सर्वेक्षण शुरू करते समय, उपयोगकर्ता केवल उन्हीं ग्राम पंचायतों और गांवों का चयन कर सकेगा जो विशेष रूप से उसके लिए मैप किए गए हों।

3.5 चेहरा प्रमाणीकरण

3.5.1 जब भी कोई नया परिवार सर्वेक्षण जोड़ा जाना है, तो सर्वेक्षक को अपना चेहरा प्रमाणित करना आवश्यक है।

3.5.2 यदि इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, तो ऐप सर्वेक्षक के चेहरे को दर्ज करने, संग्रहीत करने और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करेगा। यह चेहरा प्रमाणीकरण बाद में ऑफ़लाइन मोड में या डेटा अपलोड होने पर संसाधित किया जाएगा।

3.5.3 चेहरा प्रमाणीकरण की विफलता का कारण भी स्वचालित रूप से दर्ज किया जाता है।

3.6 सर्वेक्षण विवरण

3.6.1 सर्वेक्षण के पहले भाग में परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना आवश्यक है, जिसमें उनके आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य सामाजिक-आर्थिक विवरण शामिल हैं।

3.6.2 आवश्यक जानकारी प्रदान करने के बाद, निम्नलिखित शर्तों के आधार पर परिवार के एक सदस्य को संभावित लाभार्थी के रूप में चुना जाना चाहिए।

3.6.3 यदि परिवार में महिला सदस्य शामिल हैं, तो महिला परिवार सदस्य को लाभार्थी के रूप में चुना जाना चाहिए।

3.6.4 यदि परिवार में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो परिवार के किसी भी सदस्य को लाभार्थी के रूप में चुना जा सकता है।

3.7 लाभार्थी ई-केवाईसी

3.7.1 चुने गए संभावित लाभार्थी की चेहरा प्रमाणीकरण-आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य है, हालाँकि:

3.7.2 यदि इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने, आधार की अनुपलब्धता, आधार में बायोमेट्रिक डेटा का अद्यतन न होना आदि जैसी समस्याओं के कारण लाभार्थी का ई-केवाईसी नहीं किया जा सकता है, तो यह ऐप लाभार्थी के चेहरे को दर्ज करने और संग्रहीत करने की अनुमति देगा, ताकि बाद में ई-केवाईसी की जा सके।

3.7.3 ई-केवाईसी की विफलता का कारण भी स्वचालित रूप से दर्ज किया जाता है।

3.8 बैंक विवरण

3.8.1 संभावित लाभार्थी के बैंक खाते का विवरण दर्ज करने का विकल्प अगले चरण में उपलब्ध होगा। हालाँकि, यह अनिवार्य नहीं है क्योंकि कोई भी लाभ बाद में आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) के माध्यम से किया जाएगा।

3.9 आवास विवरण और प्रकार

3.9.1 सर्वेक्षण के अगले चरण में, आवास के प्रकार के बारे में प्रश्नावली के जवाब रिकार्ड किए जाएँगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के हैं, और सर्वेक्षण के इस चरण को उचित सावधानी के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

3.9.2 परिवार के मौजूदा आवास और प्रस्तावित स्थल (यदि वे पात्र पाए जाते हैं और पीएमएवाई-जी के तहत लाभ प्राप्त करते हैं) की तस्वीरें अगले चरण में ली जानी चाहिए।

3.9.3 इन तस्वीरों को जियो-टैग किया गया है और उनके सटीक स्थान और समय को रिकॉर्ड करने के लिए टाइमस्टैम्प किया गया है। फिर इन तस्वीरों का विश्लेषण पात्रता का आकलन करने के लिए एआई मॉडल का उपयोग करके किया जाएगा।

3.9.4 यदि परिवार पात्र पाया जाता है और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करता है, तो प्रस्तावित स्थल जियो-फेंस स्थापित करने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में काम करेगा।

3.10 आवास डिजाइन प्राथमिकताएं

3.10.1 सर्वेक्षण आवेदन के अंतिम चरण में, उपयोगकर्ताओं को आवास डिजाइन और राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे। जबकि उपयोगकर्ता किसी भी आवास डिजाइन का चयन कर सकते हैं, चुने गए डिजाइन को केवल वरीयता के रूप में माना जाएगा।

3.11 सर्वेक्षण पुष्टि

3.11.1 सर्वेक्षण आवेदन पूरा करने के बाद, प्रस्तुत जानकारी का पूर्वावलोकन प्रदर्शित किया जाएगा। उपयोगकर्ता को तब प्रदान किए गए विवरणों की सटीकता और सत्यता की पुष्टि करने वाली घोषणा प्रदान करनी होगी।

3.11.2 यदि बाद में जांच के समय कोई सूचना गलत पाई जाती है तो सर्वेक्षक जवाबदेह होंगे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

3.11.3 सर्वेक्षण प्रत्येक स्क्रीन के बाद स्वचालित रूप से सहेजा जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता जमा करने से पहले किसी भी समय इसे एक्सेस या संपादित कर सकते हैं। एक बार सर्वेक्षण को अंतिम रूप देने और सर्वर पर अपलोड करने के बाद, आगे कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है।

3.12 अपूर्ण सर्वेक्षण

3.12.1 ऐप ऑफलाइन मोड में भी काम करेगा, सर्वेयर उन्हें अपलोड करने से पहले कई सर्वेक्षण कर सकता है। हालांकि, प्रत्येक सर्वेक्षण से पहले सर्वेक्षक को अपने चेहरे का प्रमाणीकरण करना आवश्यक है जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

3.12.2 लाभार्थी का ई-केवाईसी पूरा किए बिना किया गया कोई भी सर्वेक्षण अधूरा माना जाएगा। विभाग ऐसे मामलों के लिए ई-केवाईसी को पूरा करने के लिए एक अलग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा।

3.12.3 सर्वेक्षण के दौरान, यदि चेहरे की पहचान के साथ समस्याएं, या अपूर्ण ई-केवाईसी जैसे मुद्दे उत्पन्न होते हैं, तो इन मामलों को "अपूर्ण सर्वेक्षण" के रूप में वर्गीकृत

किया जाएगा। इन मामलों की समीक्षा एक उच्च प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जो आवश्यक कार्रवाई शुरू करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

3.12.4 लाभार्थी के आधार कार्ड तैयार करना/ अद्यतन में सहायता करना और फिर डेटा को पुनः एकत्रित करना।

3.12.5 कैंप मोड, लाभार्थी के कार्यालय जाने, बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने जैसे विभिन्न तरीकों से ई-केवाईसी पूरा करना।

3.12.6 पिछले चरण में चिन्हित अपूर्ण सर्वेक्षण सर्वेक्षकों के लिए सुलभ होंगे, जिनके पास इन सर्वेक्षणों को फिर से खोलने और ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने का विकल्प होगा।

3.13 सत्यापन और पुष्टि

3.13.1 किसी ग्राम पंचायत को "सर्वेक्षण गतिविधि पूरी करने" के रूप में चिह्नित करने के लिए, निम्नलिखित सत्यापन मानदंडों को यादृच्छिक रूप से चयनित मामलों के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। आवास प्लस 2024 में सर्वेक्षण मामलों के सत्यापन के लिए अलग मॉड्यूल होगा।

3.13.2 किसी नामित जांचकर्ता (जो किसी भी संबंधित विभाग से सरकारी कर्मचारी होना चाहिए) को 10% मामलों को सत्यापित करना होगा।

3.13.3 5% मामलों को खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) या किसी अन्य समकक्ष अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

3.13.4 जिला स्तर के अधिकारी को कम से कम 2% मामलों का सत्यापन करना होगा।

3.13.5 इस सत्यापन को करने के लिए ब्लॉक या जिला स्तर पर कई अधिकारियों को अधिकृत किया जा सकता है।

3.13.6 उपरोक्त सर्वेक्षण सत्यापन केवल आवास प्लस 2024 ऐप का उपयोग करके किया जाना है। तदनुसार, ऐप में सर्वेक्षण मामलों के सत्यापन के लिए एक अलग मॉड्यूल होगा।

3.14 जॉब कार्ड सत्यापन और अनुमोदन

3.14.1 सत्यापन के लिए ग्राम सभा को सूची भेजने से पहले, यह सत्यापित करना आवश्यक है कि सर्वेक्षित परिवारों के जॉब कार्ड का विवरण सही है। मनरेगा जॉब कार्ड का सत्यापन और प्रतिलिपिकरण नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से किया जाएगा, और इस अभ्यास का परिणाम ऐप पर उपलब्ध होगा।

3.14.2 ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के बाद, अपीलीय समिति सूची की समीक्षा करेगी। अपीलीय समिति द्वारा इसकी जांच के बाद ही सूची की अंतिम मंजूरी दी जाएगी ।

4. सर्वेक्षण प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की जवाबदेही

4.1.1 यदि बाद में संवीक्षा के समय कोई सूचना गलत पाई जाती है तो सर्वेक्षण प्रक्रिया में शामिल संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करेगा।

******